राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक– परीक्षा 5–अ/व्यावसायिक /2021/ 446 दिनांकः 25/02/2021

विज्ञप्ति

बी.एड., बी.ए.– बी.एड./बी.एस.सी.–बी.एड., B.Ed. (Ord. 326 D) एवं एल.एल.एम. परीक्षा 2021 तथा एल.एल.बी. (ड्यू/पूरक) परीक्षा 2020 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त जयपुर एवं दौसा जिलों के समस्त बी.एड., बी.ए.– बी.एड./ बी.एस.सी.–बी.एड., B.Ed. (Ord. 326 D), एल.एल.एम. परीक्षा– 2021 एवं विधि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के नियमित, पूर्व–छात्र एवं बकाया प्रश्न पत्र तथा पूर्व में सम्बद्ध रहे सीकर, झुन्झुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों के समस्त विधि महाविद्यालयों के छात्रों के LL.B.-I, II, III के (Due Paper/Suppl.) की परीक्षा, 2020 के छात्रों को सूचित किया जाता है कि उनके परीक्षा–2021 के परीक्षा फार्म वेबसाइट **www.univraj.org** से भरने की तिथियॉं निम्नानुसार हैं:–

Name of Exam.	Without late fee	With late fee of Rs. 100/-
B.A.-B.Ed. Pt-I to IV B.Sc.-B.Ed. Pt-I to IV B.Ed. Pt-I, II LL.B. Pt-I, II & Pt-III (Due & Suppl.) Exam. 2020 LL.M. (Prev. -Due/-Ex-student/LL.M. Final)	28-02-2021 to 07-03-2021	08-03-2021 to 11-03-2021

परीक्षा आवेदन–पत्र भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण की सूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.uniraj.ac.in** पर अपलोड कर दी गई है।

नोटः–

1. कोविड–19 की विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप परीक्षा में प्रविष्ठ होने से वंचित रहे एल.एल.बी. पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के छात्र/छात्रा भी अपनी शेष रही परीक्षाओं के लिए परीक्षा–2020 हेतु पूर्व आवंटित अनुक्रमांक के अनुसार विशेष परीक्षाओं हेतु अपने पूर्व प्रवेश पत्र (परीक्षा–2020) की छायाप्रति के साथ आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के कमरा नं. 131 में जमा करवा सकेंगे।
2. परीक्षा फॉर्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 7726953531, टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 18001806433 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
3. आई.सी.आई.सी. बैंक हेल्पलाईन नम्बर– 9116136997
4. एस.बी.आई. बैंक हेल्पलाईन नम्बर– 022–27523818

25/2/21

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक– परीक्षा 5–अ / व्यावसायिक / 2021 / 447-60 दिनांक: 25/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. (i) समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि नियमित, पूर्वछात्र परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म सही है एवं दो प्रतियो में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजो के साथ संलग्न हैं।
2. निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है। **विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया महाविद्यालय कोड़ आवश्यक रूप से अंकित करें।**

   (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पार्ट–प्रथम एवं द्वितीय हेतु आवंटित सीटों एवं आवांटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना होगा।

   (iii) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे – परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन–पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय आवश्यक समस्त दस्तावेज एवं पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अकंतालिकाएँ आदि संलग्न हो। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं ही जिम्मेवार होगा।

3. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
4. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा–2021 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करवाने का श्रम करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
6. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक / एस.बी.आई. बैंक, जयपुर।
7. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव / निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त उप–कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग / शैक्षणिक –द्वितीय / सेलर–। / लेखा एवं वित्त शाखा, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

25.02.2021

उप कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

बी.एड., बी.ए.– बी.एड./बी.एस.सी.–बी.एड., B.Ed. (Ord. 326 D) एवं एल.एल.एम. परीक्षा 2021 तथा एल.एल. बी. (ड्यू/पूरक) परीक्षा 2020 के परीक्षा फार्म ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरवाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. **ऑनलाईन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन–पत्र**

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट www.univraj.org पर संबंधित कक्षा की श्रेणी (यथा नियमित/ पूर्व छात्र) का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।

(ब) फार्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फार्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फार्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फार्म का प्रिंट (दो प्रतियों में) ले सकेंगें।

(स) शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

(द) दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर मय आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं पूर्व में उत्तीर्ण अंकतालिकाओं आदि के साथ अगले दो कार्य दिवसों में परीक्षा फार्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। इन्टरनेट के माध्यम से प्रिंट की हुई अंकतालिकाऐं मान्य नहीं होगी।

परीक्षार्थी ध्यान रखें:–

(अ) यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मान कर प्रारम्भ से नया परीक्षा फॉर्म भरें।

(ब) परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढें।

(स) एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।

2. अधिनियम–323 के अनुसार बी.एड. के नियमित परीक्षार्थियों के लिये all course work & practicum में 80% तथा School Internship में 90% उपस्थिति अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्तानुसार कम उपस्थिति (Short Attendance) वाले परीक्षार्थियों की सूची सत्र 2020–21 पूर्ण होने के पश्चात् 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर (मय कॉलेज कोड एवं प्रत्येक कक्षा के लिए all course work & practicum एवं school internship के लिए अलग–अलग) निम्न प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

शपथ पत्र

मैं.. प्राचार्य.................................... कॉलेज कोड नं....................... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि महाविद्यालय में सभी छात्रों का प्रवेश P.T.E.T.-2020 की सूची के अनुसार ही किया गया हैं तथा निम्न विद्यार्थियों के अतिरिक्त सभी ने बी.एड. पार्ट प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा–2021 के लिए नियमानुसार all course work & practicum में 80% तथा school internship में 90% उपस्थिति पूर्ण कर ली है।

Short Attendance वाले परीक्षार्थियों की सूची

क्र.सं.	परीक्षा फार्म संख्या	छात्र का नाम	पिता का नाम	कुल कार्य दिवस	उपस्थिति दिवस	उपस्थिति का प्रतिशत

प्राचार्य

3. बी.ए.–बी.एड. एवं बी.एस.सी.–बी.एड. के छात्र/छात्राओं के संदर्भ में उनकी उपस्थिति का ब्यौरा भी उपरोक्त शपथ पत्र के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रस्तुत करेंगे।
4. विधि पाठ्यक्रमों के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य निश्चित रूप से यह भी सुनिश्चित करलें।
5. अधिनियम–182 के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
6. अधिनियम–168–ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो उपाधि की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाऐं निरस्त करने का प्रावधान है।
7. बी.एड. अध्यादेश 326–डी एडीशनल परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें जिसका चयन उन्होंने पूर्व में बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
8. अधिनियम–169–H के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/ अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
9. विश्वविद्यालय परीक्षा–2020 में प्रविष्ठ हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नम्बर से ही भरे जा सकेंगे। इस फॉर्म की जॉच कर लें। इस फॉर्म में अपना ई–मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर एवं घर के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो परीक्षार्थियों के लिए संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
10. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले फ्रेश परीक्षार्थी सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवदेन–पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड़ करें। ध्यान रहे अपना, पिता व माता का नाम वही भरें जैसा कि बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका में अंकित है।
11. निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी भी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगें:–
    (अ) ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा–2020 में बैठे हैं परन्तु यदि :–
        (I) किसी कारणवश रोल नम्बर से परीक्षा फॉर्म ऑपन नहीं हो रहा है।
        (II) आर.एल./यू.एम. घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है अथवा डाटा अपडेट नहीं हो सका है।
    (ब) B.Ed. Ord. 326-D के सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगें। ध्यान रहे एक एडिशनल ऐसे विषय का चयन करें जिसका अध्ययन उन्होने बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
12. सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान अपना आधार नम्बर अंकित करना होगा।
13. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित शैक्षणिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
14. जिन छात्रों ने परीक्षा 2020 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र वर्तमान में जो पात्रता रखते हैं उसके अनुसार निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म आवश्यक संशोधन के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. बी.एड. भाग प्रथम के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ 10+2+3 की अंकतालिकाऐं, पी.टी.ई.टी. 2020 का आवंटन पत्र एवं प्रवेश की रसीद, आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र, विधि प्रथम वर्ष के छात्रों को 10+2+3 की अंकतालिकाऐं तथा आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र तथा बी.ए. –बी.एड. एवं बी.एस.सी.–बी.एड. के छात्रों को 10+2 की अंकतालिकाओं, पी.टी.ई.टी. 2020 का आवंटन पत्र एवं प्रवेश की रसीद, आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। अपरिहार्य दस्तावेज संलग्न न करने की अवस्था में संबंधित छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केवल महाविद्यालय की होगी।

16. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि LL.B.-I, II एवं III year के (Due Paper/Suppl.) का परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों को परीक्षा फार्म के साथ प्रत्येक प्रयास की अंकतालिकाओं की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसके अभाव में संबंधित छात्र का परीक्षा आवेदन फार्म स्वतः ही निरस्त कर दिया जावेगा।

17. बी.ए.–बी.एड. एवं बी.एस.सी.–बी.एड. पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पार्ट–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (जो भी लागू हो) की अंकतालिका तथा बी.एड. भाग द्वितीय के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ बी.एड. पार्ट– प्रथम एवं स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिकाऐं संलग्न करें।

18. B.Ed. Ord. 326-D के परीक्षार्थी बी.एड., स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिकाऐं संलग्न करें।

19. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग प्रथम के तीन विषयों तक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) में अनुत्तीर्ण हैं वे उन विषयों की परीक्षा बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा के साथ प्रविष्ठ होंगे।

20. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग प्रथम एवं द्वितीय के तीन विषयों से अधिक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/ प्रायोगिक) विषयों में अनुत्तीर्ण हैं वे बी.एड. भाग प्रथम एवं द्वितीय के प्रायोगिक सहित सभी विषयों में पूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ होंगे। साथ ही जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहे हैं उन्हें भी आंतरिक एवं सैद्धान्तिक दोनों में प्रविष्ठ होना अनिवार्य है।

21. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग द्वितीय के तीन विषयों तक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) में अनुत्तीर्ण हैं वे उन विषयों की परीक्षा पूर्व छात्र के रूप में बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा में प्रविष्ठ होंगे।

22. अध्यादेश 326–डी के तहत परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले छात्र सम्बन्धित विषय एवं उसकी प्रायोगिक परीक्षा में बी.एड. भाग द्वितीय के साथ सम्मिलित होंगे।

23. ऐसे छात्र/छात्रा जिनकी गत वर्ष उपस्थिति पूर्ण नहीं थी अर्थात जिनकी (Short Attendance) थी, वे छात्र/छात्रा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के योग्य **नहीं** है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य भी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र न तो स्वीकार करें अथवा ना ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।

24. विश्वविद्यालय नियमानुसार बी.एड. छात्र/छात्राऐं जिस सत्र में नियमित रूप से अध्ययनरत रहे हैं उन्हें उसी सत्र में इन्टर्नशिप पूर्ण करना आवश्यक है। अतः ऐसे पूर्व छात्र/छात्राऐं जिन्होंने नियमित छात्र/छात्रा रहते हुए इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं कि है ऐसे छात्र परीक्षा आवेदन हेतु पात्र नहीं है। अतः महाविद्यालय यह सुनिश्चित करलें की केवल योग्य छात्र/छात्रा ही परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।

25. **परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देशः–**

(अ) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहॉं पर जमा करवायें।

(ब) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे।

26. **परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथाः–**

नियमित/पूर्व–छात्रों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि (जैसे – नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नं. इत्यादि) हो तो परीक्षा फॉर्म की **दोनों प्रतियों में लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण सहित** संबंधित महाविद्यालय में जमा करायें। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को परीक्षा फार्म अग्रेषित करने के पश्चात् संशोधन करवाने पर बी.एड. पाठ्यक्रमों के संदर्भ में रूपये 1000/– त्रुटि प्रति परीक्षा फॉर्म परीक्षार्थी द्वारा संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।

27. परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मो पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाऐगें।

28. ऐसे छात्र जिन्होनें अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।

29. विश्वविद्यालय में पूर्व नामांकित छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर उतीर्ण कक्षा की अकंतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

30. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना प्रवेश–पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

31. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

32. सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी का नामांकन हो गया है। उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरी जा चुकी है। यदि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे – परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उतीर्ण किए गये प्रश्न–पत्रों के नाम, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन–पत्र की कम्प्यूटर प्रति अलग रखें, तथा हार्ड प्रति के साथ मय आवश्यक अकंतालिकाएँ आदि सलंग्न हो।

33. संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि :–

(i) प्रत्येक छात्र ने अपना परीक्षा आवेदन फार्म पूर्णतः सही एवं स्पष्टतः भरा हो।

(ii) चूंकि school internship उपस्थिति का पार्ट है अतः प्रत्येक बी.एड. छात्र नियमित अध्ययनरत रहते हुए ही अपनी internship समय पर पूर्ण करें। **पूर्व छात्र के रूप में internship पूर्ण नहीं की जा सकती है।**

(iii) प्रत्येक बी.एड. छात्र Course work एवं school internship में नियमित रहें तथा समय पर internship पूर्ण करें।

(iv) प्रत्येक आवेदन फार्म के साथ सभी अर्हकारी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की छायाप्रतिलिपि ही संलग्न करें। **इन्टरनेट द्वारा डाउनलोड की हुई अंकतालिका मान्य नहीं है।**

(v) विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर ही बी.एड. पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सकता है **अतः समयावधि पूर्ण होने की स्थिति में किसी भी छात्र का परीक्षा आवेदन फार्म न तो स्वीकार करें तथा ना ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।**

(vi) परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संबंधित महाविद्यालय का विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।

(vii) महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि जिस छात्र/छात्रा का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा रहा है वह छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा में बैठने हेतु पूर्णतया योग्य है तथा उसने विश्वविद्यालय नियमानुसार ही विषयों का चयन किया है।

(viii) महाविद्यालय द्वारा बी.एड. पूर्व छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि जिस छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जा रहा है उसकी पूर्व के वर्षों में कम उपस्थिति (Short Attendance) नहीं रही हो तथा परीक्षा में अन्तराल (Gape) के दौरान उसके द्वारा परीक्षा फार्म भरा हो तथा उसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक जारी किया गया हो अथवा अंकतालिका जारी की गयी हो।

(ix) महाविद्यालय द्वारा इस विज्ञप्ति में जारी किये गये निर्देशों का पालन ना करने पर विश्वविद्यालय द्वारा इसे गंभीरता से लिया जायेगा तथा महाविद्यालयों पर प्रशासनिक शास्ति लगायी जा सकती है।

34. **महाविद्यालयों द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा फॉर्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया** :– नियमित एवं पूर्वछात्र ऑनलाईन शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के संबंधित महाविद्यालय (जो परीक्षा फॉर्म पर मुद्रित हैं) में जमा करवायेंगे। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मो को निम्नानुसार कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय को सुपुर्द करेंगे:–

(A) **नियमित एवं पूर्वछात्र परीक्षार्थी** : –

(अ) सर्वप्रथम सभी महाविद्यालय उनको आवांटित महाविद्यालय कोड से वेबवाईट

www.univraj.org के कॉलेज पोर्टल पर अपना ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर का रजिस्ट्रेशन करवायेगें। तत्पश्चात् उन्हें महाविद्यालय लॉगइन आई.डी. एवं वन टाईम पासवर्ड (One Time Password) उनके पंजीकृत मोबाईल/ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय अपना नया पासवर्ड बदलने के विकल्प पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बदल सकेंगे।

(ब) ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा फॉर्मो की हार्ड कॉपी को कक्षा एवं श्रेणीवार उसी वेबसाईट के कॉलेज पोर्टल पर प्रतिदिन प्रत्येक छात्र के फॉर्म को Verify बटन पर Verify करें। संबंधित कक्षा के सभी फॉर्म Verify होने के पश्चात् प्रिंट ऑपशन पर जाकर Nominal Roll का प्रिंट लें। तत्पश्चात् Nominal Roll लिस्ट के क्रम के अनुसार ही परीक्षा फॉमों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय कमरा नं. 131 में स्वयं जमा करवायें।

(स) **महाविद्यालय ध्यान रखें**– उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किये जा सकेंगें।

(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.ए.–बी.एड., बी.एस.सी.–बी.एड. एवं बी.एड. पार्ट–प्रथम कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(C) सम्बन्धित महाविद्यालय सुनिश्चित रहें कि पूर्व परीक्षार्थियों (Ex-Student) के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे। शपथ पत्र के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।

(D) ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा शुल्क के परीक्षा फार्मो को ही स्वीकार करें। अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क के परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं करें। यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

महाविद्यालयों में नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों के ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा परीक्षा शुल्क के पश्चात् संकलित परीक्षा फार्मो की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में मय दस्तावेज दिशा–निर्देश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा फर्मो को व्यवस्थित कर अनिवार्य रूप से परीक्षा फार्म दिनांक 15.03.2021 तक महाविद्यालय को ही विश्वविद्यालय कमरा नं. 131 में जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त प्रयोजनार्थ यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोटः– महाविद्यालय लॉगईन करने एवं परीक्षा फार्म Verify करने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर 7726953531, टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 18001806433 पर सम्पर्क कर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क के संदर्भ में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए बैंक हेल्पलाईन नम्बर ICICI Bank – 9116136997 व SBI Bank – 022–27523818 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

35. परीक्षा– 2021 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्टस बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार हैः–

FEE PAYABLE FOR PROFESSIONEL COURSES EXAM. 2020-21

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1	B.Ed. Part-I	3240/-	3680/-
2	B.Ed. Part-II	3470/-	3910/-
3	B.Ed. Part-I (Due Paper) (One Paper)	1630/-	--
4	B.Ed. Part-I (Due Paper) (Two Paper)	2420/-	--
5	B.Ed. Part-I (Due Paper) (Three Paper)	3240/-	--
6	LL.B. I-year	1480/-	1780/-
7	LL.B. II-year	1780/-	2000/-
8	LL.B. III-year	1920/-	2220/-
9	LL.B. (Due Paper) (One Paper)	750/-	--
10	LL.B. (Due Paper) (Two Paper)	1120/-	--

11	LL.B. (Due Paper) (Three Paper)	Full Exam Fee (Classwise)	--
12	LL.M. Pt-I	1790/-	2060/-
13	LL.M. Pt-II	2060/-	2350/-
14	Fee for Physically Challanged Students	600/-	680/-

FEE PAYABLE FOR B.A./B.Sc.-B.Ed. Part-I, II, III & IVCOURSES EXAM. 2020-21

S. No.	Name of Exam	If already enrolled	Ex-Student
1	B.A./B.Sc.-B.Ed. Part-I	1320/-	1630/-
2	B.A./B.Sc.-B.Ed. Part-II	1320/-	1630/-
3	B.A./B.Sc.-B.Ed. Part-III	2400/-	2790/-
4	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Pt-IV	2400/-	2790/-
5	With Due Papers of B.A./B.Sc. –B.Ed. Pt-I	2400/-	2790/-
6	B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Pt-II (With Due Papers of Pt-I)	2450/-	2880/-
7	B.A.-B.Ed./ B.Sc.-B.Ed. Pt-III (With due paper of Part-I&II)	2880/-	3320/-
8	B.A.-B.Ed./ B.Sc.-B.Ed. Pt-IV (With due paper of Part-I)	2400/-	2790/-
9	B.A.-B.Ed./ B.Sc.-B.Ed. Pt-IV (With due paper of Part-II)	2450/-	2880/-
10	B.A.-B.Ed./ B.Sc.-B.Ed. Pt-IV (With due paper of Part-I,II&III)	2940/-	4340/-
11	LL.M. Pt-I (Due/Ex)	----	2060/-
12	LL.M. Pt-II	2060/-	2350/-
13	LL.M. Pt-II (with Due paper of LL.M. Pt-I)	3070/-	3360/-
14	Fee for Divyang Persons	600/-	680/-
15	University Employee wards	70/-	70/-

In addition to above Exam. fee Rs. 150/- Per Practical Examination be charged from the Regular Student & Ex-Student Students appearing in Professional Examinations (B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. and B.Ed. for the Session 2020-21

Note: **1** Every regular student will deposit Development fee of Rs. 50/- and Sports Board fee of Rs. 50/ the respective colleges in addition to above exam fees.

2 शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क छूट है। इस संबधं में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि मेडीकल ऑफीसर से हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा

3 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

परीक्षा नियंत्रक